(18)

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0</u>

इन्द्रप्रसाद गौतम पिता श्री विशेषर प्रसाद गौतम उम्र 73वर्ष निवासी रामटेकरी कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0..**निगराकार**

अपील/सतना/भू.रा./2018/0415

बनाम

1. मनजी भाई पटेल पिता श्री लालजी पटेल उम्र66वर्ष निवासी कृष्ण नगर सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

2. शासन म0प्र0 ....**गैरनिगराकार**

श्री .... द्वारा आज 15.1.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27.1.18 नियत।
15-1-18
रीडर ... कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा50 भू0रा0 संहिता 1959, विरूद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 177अ12/16-17में पारित आदेश दिंनाक 31.10.17,</u>

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगराकार क.1 द्वारा मौजा कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना म.प्र. की आराजी नम्बर 1279/1/15/1/2 रकवा 0.011हे. के सीमांकन का आवेदन पत्र लायक अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया तथा लायक अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13.10.17 को सीमांकन बिना चौहद्दी कास्तकारों को सूचना दिये कर

15/1/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—दो / निगरानी / सतना / भू.रा. / 2018 / 0415

इन्द्रप्रसाद गौतम विरूद्ध मनजी भाई पटेल व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राज्स्व निरीक्षक वृत्त सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला—सतना के प्रकरण क्रमांक 177 / अ—12 / 2016—17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31—10—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 02—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 01.3.19	